DEVENDRAYADAV
Advocate

Office
Plot No. D-11, Shanti Nagar,
Hatwara Road, Jaipur
Mobile No. 98281-46623

Date 25/6/2018

LEGAL TITLE SEARCH REPORT

That Plot No. R/14/183, Indraprasth Colony, Ajmer Road, Jaipur was allotted by society, Thereafter JDA Jaipur regularized & issued Lease deed (patta) in favour of M/s SG fiscal Pvt. Ltd. Through direction Mr. Dinesh Agarwal
Through Lease deed d 07/01/2010 which is registor with sub registrar-II Jaipur at Book no. 1, Vol. No. 627, Page 142, Reg. No. 2010052000268 add Book No. 1, Vol No. 2495 Page No. 526 to 533 on dt 11/01/2010 Measuring Area 234.02 Sq. Yds. Thereafter M/s SG Fiscal LLP (Previously Known as M/s SG Fiscal Pvt. Ltd.) through partner Mr. Dinesh agarwal sold the said plot to M/s Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd. Through director Mr. Vikas Sharma which is register with sub registrar –VII, jaipur at Book No. 1, Vol. No. 467 page 92, Reg. No. 201803021104126 add Book No. 1, Vol. No. 1867, Page no. 739 to 753 on dt. 03-05-2018

That Plot No. R/14/184 Indraprasth Colony, Ajmer Road, Jaipur was allotted by Society Thereafter JDA, Jaipur regularized & issued Lease deed (Patta) in favour of M/s SG Fiscal Pvt. Ltd. Through director Mr. Dinesh Agarwal through lease deed dt. 07-01-2010 which is register with Sub registrar-II Jaipur at book No. 1, Vol No. 627, Page 146, Reg. No. 2010052000272 add Book No. 1, Vol. No. 2495, Page No. 558 to 565 on dt. 11-01-2010 Measuring Area 234.02 Sq. Yds. Thereafter M/s SG Fiscal LLP (Previously known as M/s SG Fiscal Pvt. Ltd.) through partner Mr.. Dinesh Agarwal sold the said Plot to M/s Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd. Through director Mr. Vikas Sharma which is register with sub registrar- VII, Jaipur at Book No. 1, Vol No. 467, Page 71, Reg. No. 201803021104105 add Book No. 1, Vol No. 1867, Page No. 326 to 339 on dt. 03/05/2018.

Thereafter JDA, jaipur issued Reconstitution Letter No. D-353 in favour of M/s Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd. Through director Mr. Vikas Sharma through Letter dt. 09-05-2018 for Plot No. R-14/183 & R-14/184

On the basis of document provided and inspection and search done through Receipt No. RJ1625231806237 dated 25-06-2018 issued by the office of Sub- Registrar-II Jaipur I confirm that the said property situated at indraprasth colony, ajmer Road, Jaipur is in the ownership of M/s Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd. That Plot No. R-14/183 & R-14/184 is free from all sort of registered encumbrances and property is clear and marketable.

Note:- The Receipt is enclosed along with this certificate

Devendra Yadav
Advocate

DAVENDRA YADAV
ADVOCATE

Scanned by CamScanner

183

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(जमाकर्ता की प्रति)

चालान संख्या 16460 दिनांक 8.9.2008

भूखण्ड संख्या R14-183 श्रेणी 1. आवासीय

जोन नं. 7 2. व्यावसायिक

3. संस्थानिक

योजना का नाम/कोड 5054221

जमाकर्ता (आवंटी) का नाम S. Cm Fiscal Pvt Ltd.

कृपया सही कालम में राशि भरें :-

कोड सं.	मद	राशि
01.	भूखण्ड का नजराना	
02.	नजराना पर ब्याज/पेनल्टी	8957
03.	शहरी जमाबंदी	
04.	शहरी जमाबंदी पर ब्याज	22115
05.	विकास शुल्क	
08.	उपविभाजन/पुनर्गठन	
09.	निर्मित भवन की कीमत	
10.	निर्मित व्यावसायिक भवनों की कीमत	
24.	अमानत राशि	
51.	नियमन शुल्क	
52.	नियमन शुल्क पर ब्याज	
53.	सीवरेज शुल्क	
54.		
		100=00
	विविध	
	योग रुपये	31172=00

(शब्दों में) रुपये Thirty one thousand one hundred seventy two only

चैक/पे-आर्डर/डीडी/संख्या

बैंक

Cheque/DD Received 10 SEP 2008 SUBJECT TO REALISATION Bank of Rajasthan Ltd. J.D.A. Campus, Jaipur

वचनबद्धता

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री ....

जमाकर्ता वचनबद्ध हूं कि उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता को जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। इस प्रकार जमा कराई गई अतिरिक्त यदि प्राधिकरण द्वारा कोई मांग निकाली जाती है तो वह अतिरिक्त राशि 18% ब्याज सहित या प्राधिकरण के नियमानुसार जो भी अधिक हो जमा करा दी जायेगी।

ह. जमाकर्ता HDFC 244629 बैंक रोकड़पाल

R-14 | 183

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II
Jaipur
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010052000492	Date	11/01/2010
Presenter Name	DINESH AGARWAL	Document S. No	2010052000464
Presenter/Property Address	E 207 ROAD NO. 10 VKI AREA JAIPURAS DIR. OF M/S S G FISCAL P.LTD.null		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name	JDA	Payment Mode	Cash
Face Value	44782	Evaluated Value 0	Stamp Value 3584

Ord- registration fee	450	commssion	0
csi_less_50000	100	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	550

Five Hundred Fifty Only

Cashier

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) * SUB REGISTRAR, JAIPUR-II * पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते

Sub Registrar JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर ~~समूह~~ आवासीय प्रयोजनों के लिए निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत भूमि का पट्टा–विलेख

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानो के अंतर्गत आवंटित भू–उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 7-1-2010 को आवंटित/विक्रय–पत्र संख्या 692 सन् को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हे इसके पश्चात सरकार कह कर संबोधित किया गया है दूसरी ओर मैसर्स एस.जी. फिस्कल प्रा.लि. जरिये श्री/श्रीमती निदेशक दिनेश अग्रवाल पुत्र/पुत्री स्व. श्री राम अवतार अग्रवाल व्यवसाय व्यापार निवासी E-201 ... VKI Area, Jaipur योजना का नाम इन्द्रप्रस्थ (चोरडिया सि ...) संख्या R-14/183 क्षेत्रफल 234.02 व.मी. (जिनको इसके पश्चात पट्टेदार कह कर संबोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है। इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इनके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो निजी खातेदारी योजना में स्थित स्थान अजमेर रोड जयपुर और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के 234.02 व.मी. संलग्न साईट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इसमें संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :–

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबंदी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 47.84 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कुल नियमन राशि 11196/- शब्दों में ग्यारह हजार एक सौ छियानवे रुपये देय होती है जो चालान नं. 17431 दिनांक 20/09/05 से जमा है इसका 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबंदी रुपये देय है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(65) नविवि/03/06 दिनांक 02.11.07 आठ वर्षीय लीज राशि 8956 शब्दों में आठ हजार नौ सौ छप्पन रुपये होती है जो चालान नं. 16460 दिनांक 8-9-08 से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावेगा। भूखण्ड का अन्य उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10–07–1999 क्रमांक प. (3)नविवि/03/99 भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में

उप पंजीयक द्वितीय जयपुर

SUB REGISTRAR, JAIPUR-II

आज दिनांक 11 माह जनवरी सन् 2010 को 03:25 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री DINESH AGARWAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHEY SHYAM AGARWAL
उम्र 39 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी E 207 ROAD NO. 10 VKI AREA JAIPUR AS DIR. OF M/S S G FISCAL P.LTD.
null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010052000464)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

रसीद नं०	[2010052000492]
दिनांक	[11-1-2010]
पंजीयन शुल्क रू०	450
प्रतिलिपि शुल्क रू०	0
पृष्ठांकन शुल्क रू०	100
अन्य शुल्क रू०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू०	0
कुल योग रू०	550

(2010052000464) उपपंजीयक,JAIPUR-II
((Lease deed for local bodies (Patta)))
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उप पंजीयक ... REGISTRAR, JAIPUR

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये 20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

20 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES TWENTY

राजस्थान RAJASTHAN

01AA 812605

THE BANK OF RAJASTHAN
JDA CAMPUS
JAIPUR
S.N. 6401
F/4(300)(2)/Stamp/Frank/Bank/069

भारत STAMP DUTY RAJASTHAN
00000 SPECIAL ADHESIVE
Rs.≈0003484≈ 10.9.2008
714465 RAJASTHAN
INDIA **Zero*Zero*Zero*Three*Four*Eight*Four**
7964 4645304

R-14-183 235.02 मी०

3584

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

21AA 755357

R-14-183 234-02

3584

उप पजीयक द्वितीय
जयपुर

SITE PLAN OF PLOT No. R14/183

SCHEME INDRAPRASTH COLONY AJMER ROAD, JAIPUR.

AREA 10.89 x 21.49 = 234.02 SQM.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER RULES %

SCALE—1 in = 50 ft.

→ N

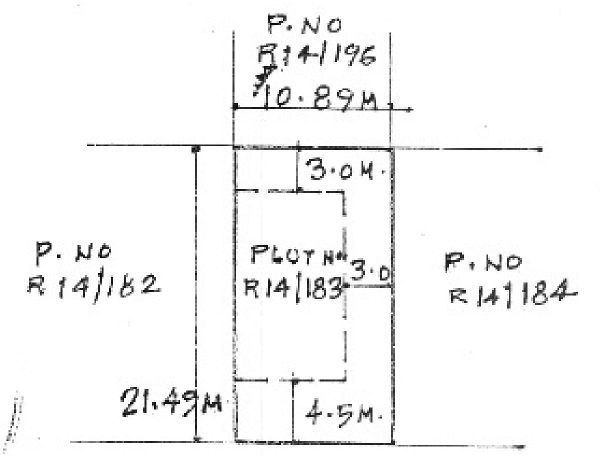

R O A D 12.2 M. WIDE

Site Engineer

Town Planning Assistant/ATP DTP

Dy. C. Conversion

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

183

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ28159369160587Q
Certificate Issued Date	:	03-May-2018 12:25 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3089504/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ308950448031305326771Q
Purchased by	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Description of Document	:	Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	:	P.NO. R-14/183, INDERPRASTH COLONY, CHORADIYA CITY, VILL. KESHOPURA, TEH. SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	24,50,000 (Twenty Four Lakh Fifty Thousand only)
First Party	:	SG FISCAL LLP
Second Party	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	1,22,500 (One Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	12,250 (Twelve Thousand Two Hundred And Fifty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	12,250 (Twelve Thousand Two Hundred And Fifty only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,47,000 (One Lakh Forty Seven Thousand only)

For SG FISCAL LLP

Authorised Signatory

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम

0006885627

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ28160292620421Q
Certificate Issued Date	:	03-May-2018 12:28 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3089504/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ308950448034742986051Q
Purchased by	:	SG FISCALL LLP
Description of Document	:	Article 35B(2)(a) Instr.of conversion of firm/Pvt Ltd/unlisted Pub Ltd comp into LLP where on conversion immovable prop.vests in LLP
Property Description	:	P.NO. R-14/183, INDERPRASTH COLONY, CHORADIYA CITY, VILL. KESHOPURA, TEH. SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SG FISCAL PVT LTD
Second Party	:	SG FISCAL LLP
Stamp Duty Paid By	:	SG FISCAL LLP
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	12,216 (Twelve Thousand Two Hundred And Sixteen only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	1,222 (One Thousand Two Hundred And Twenty Two only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	1,222 (One Thousand Two Hundred And Twenty Two only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	14,660 (Fourteen Thousand Six Hundred And Sixty only)

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम

0006885630

!! श्रीराम जी !!

(छायाचित्र–प्रथम पक्ष)

(छायाचित्र–द्वितीय पक्ष)

:: विक्रय पत्र ::

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 03.05.2018 को जयपुर नगर जयपुर (राजस्थान) में **SG FISCAL LLP** (एसजी फिस्कल एलएलपी) (पूर्व नाम– एस.जी. फिस्कल प्रा. लि.), (**LLP Identification No. – AAL-2533**), रजि. कार्यालय ई–207, रोड़ नम्बर 10, वी.के.आई. एरिया, जयपुर, राजस्थान–302013 जरियें पार्टनर श्री दिनेश अग्रवाल, आयु 48 वर्ष, पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी डी–53, गणेश पार्क, अम्बाबाड़ी, जयपुर, राजस्थान–302023 (आधार नम्बर 3161–2008–0667) के है जिसें इस विक्रय पत्र में यहां शब्द "विक्रेता प्रथम पक्ष" एवं आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रशासक, भागीदारान, निदेशक इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे जब तक कि सन्दर्भ से प्रतिकुल आशय प्रकट न हो) की ओर से –

उप पंजीयक

बहक

विक्रय सुप्रीम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN NO. U45201RJ2013PTC041295) पंजीकृत कार्यालय 94, टैगोर नगर, अजमेर रोड़, जयपुर जरिये निदेशक श्री विकास शर्मा, आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई–11, जमना नगर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य के है, जिसें इस विक्रय पत्र में शब्द "क्रेता द्वितीय पक्ष" एवं आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द "द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें द्वितीय पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रशासक, भागीदारान, निदेशक इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे जब तक कि सन्दर्भ से प्रतिकुल आशय प्रकट न हो) के हक में निम्न प्रकार लिखा व तहरीर व तकमील किया गया है –

यह कि प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं अधिकार का प्लाट नम्बर आर–14/183, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी (चौरड़िया सिटी), ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य में पूर्वमुखी स्थित है जिसकी नाप पूर्व–पश्चिम 21.49 मीटर एंव उत्तर–दक्षिण 10.89 मीटर हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गगज है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व की ओर 12.2 मीटर चौड़ा आमदरफ्त सरकारी रास्ता स्थित हैं, पश्चिम की ओर प्लाट नम्बर आर–14/196 मिला हुआ है, उत्तर की ओर प्लाट नम्बर आर–14/184 मिला हुआ हैं व दक्षिण की ओर प्लाट नम्बर आर–14/182 मिला हुआ है।

यह कि उपरोक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर–14/183, सम्पूर्ण के बाबत् प्रथमपक्ष विक्रेता ने कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में नियमन हेतु विधिवत आवेदन किया एंव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में उक्त प्लाट बाबत् नियमन राशि के 11,196/– रूपयें जरियें चालान नम्बर 17431 दिनांक 20.09.2005 को व लीज राशि के 8,956/– रूपयें जरियें चालान नम्बर 16460 दिनांक 08.09.2008 को जमा कराये, तब कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के तहत शहरी जमाबन्दी के आधार पर निजी खातेदारी के योजना के अन्तर्गत उक्त वर्णित प्लाट का आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 692 दिनांक 07.01.2010 को [illegible]

द्वितीय के यहाँ दिनांक 11.01.2010 ईस्वी को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 627 में पृष्ठ संख्या 142 क्रम संख्या 2010052000268 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2495 के पृष्ठ संख्या 526 से 533 पर चस्पा किया गया। इस प्रकार उक्त वर्णित प्लाट का प्रथम पक्ष एक मात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी है, जिसको प्रथम पक्ष ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय व हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष की ओर से प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, ऋण भार सरकारी व जन साधारण से मुक्त है तथा किसी भी कर्जा, कुर्की, डिक्री व अनुबन्ध पत्र से बंधित नहीं है एवं उक्त वर्णित प्लाट के विषय में प्रथम पक्ष को प्रत्येक प्रकार से अपने काम में लेने व रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त है।

यह कि उक्त वर्णित प्लाट पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित प्लाट को प्रथम पक्ष ने किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन विक्रय व हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष की ओर के प्रत्येक प्रकार के झगड़े टन्टे, ऋण, भार सरकारी व जन साधारण आदि से मुक्त है उपरोक्त प्लाट के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई वाद, विवाद, किसी भी न्यायालय, अधिकरण में विचाराधीन नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा किसी भी न्यायालय, अधिकरण द्वारा उपरोक्त प्लाट के सम्बन्ध मे दी गई है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्लाट को कहीं जमानती नहीं रखा हुआ है। प्रथमपक्ष नें उपरोक्त वर्णित प्लाट के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अपना मुख्त्यारआम या मुख्त्यारखास नियुक्त नहीं किया। इस प्रकार उक्त वर्णित प्लाट प्रत्येक प्रकार के चार्ज व भार से मुक्त, साफ व पाक है और उक्त वर्णित प्लाट को किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने के तमाम अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष को अपनी व्यावसायिक की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसी कारण से प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर–14/183, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी (चौरड़िया सिटी), ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर हैं, सम्पूर्ण को कतई बेचान किये जाने का निर्णय किया है ओर प्रथम पक्ष से उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष द्वारा निम्न वर्णित मांगी गई प्रतिफल राशि में द्वितीय पक्ष ने खरीद करना स्वीकार कर

तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर हैं, सम्पूर्ण को प्रथम पक्ष ने बिना रखे अपने किसी भी हक व हिस्से के सम्पूर्ण स्वत्वों, अधिकारो व सुखाधिकारों व मंजिल दर मंजिल तामीरात के अधिकारो सहित अपनी स्वस्थ्य इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्दि की अवस्था में बिना किसी दबाव, बहकाव व आग्रह के कुल मुबलिग 24,50,000/– रूपये अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपयों में द्वितीय पक्ष को कतई बेचान कर दिया है तथा प्रतिफल की चुकती राशि 24,50,000/– रूपये अक्षरें चौबीस लाख पचास हजार रूपयें द्वितीयपक्ष क्रेता ने प्रथमपक्ष विक्रेता को निम्न लिखित प्रकार से अदा कर दियें हैं :–

राशि (रूपयों मे)	चैक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	शाखा
5,00,000/-	000362	03/05/18	बैंक ऑफ बडौदा	जयपुर
19,50,000/-	000363	13/06/18	बैंक ऑफ बडौदा	जयपुर

यह कि प्रतिफल की चुकती राशि उपरोक्त लिखित प्रकार से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से कतई प्राप्त की जा चुकी है जिसे प्रथम पक्ष इस विलेख में द्वितीय पक्ष से उपरोक्तनुसार प्राप्त करना स्वीकार करता है। अब प्रतिफल की राशि में से प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से कुछ भी लेना शेष नही रहा है और विक्रय किये गये उक्त वर्णित सम्पूर्ण प्लाट का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मौके पर वास्तविक मालिकाना व भौतिक रूप से मय मूल दस्तावेजात के संम्भला दिया गया है और द्वितीय पक्ष को उक्त वर्णित प्लाटं में मौके पर वास्तविक मालिकाना रूप से काबिज दाखिल करा दिया गया है, जिसका द्वितीय पक्ष बिना किसी अन्य साझी व सीर के एकमात्र व तन्हा मालिक, काबिज, अधिकारी, स्वामी व स्वत्वाधारक हो गया है और तमाम मालिकाना अधिकार उक्त वर्णित प्लाट के बाबत द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

यह कि अब द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर–14/183, सम्पूर्ण को कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकारण, नगर निगम जयपुर इत्यादि में अपने नाम से हस्तान्तरित करा लेवें, पानी–बिजली–टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करें, मंजिल दर मंजिल जिस प्रकार चाहे अपनी सुविधानुसार तामीरात करावें, जिस तरह चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवें किसी भी प्रयोजन हेतु परिवर्तित

रद्दोबदल करें एवं सामलात में व पृथक पृथक खण्डों में किसी को भी किसी भी कीमत पर रहन, बंधक, विक्रय एवं हस्तान्तरित करें तमाम मालिकाना अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

यह कि उक्त विक्रय किये गये उक्त वर्णित प्लाट के बेचान बाबत कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति वाद–विवाद, झंगडा, टन्टा उत्पन्न करेगा तो उसका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं अपने हर्जे खर्चे से करने हेतु बाध्य रहेगा तथा आज तक की किसी भी प्रकार की कोई राशि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, बकाया निकलेगी तथा कर/टैक्स, शुल्क, चार्ज आदि एवं बैंक व व्यक्तिगत ऋण राशि एवं इस विक्रय पत्र के सिवाय पूर्व में निष्पादित अन्य विलेख के बाबत किसी प्रकार की कोई मुद्रांक व पंजीयन राशि बकाया निकलेगी तो उन तमाम की अदायगी हेतु प्रथम पृक्ष स्वयं बाध्य रहेगा, जिससे द्वितीय पक्ष व उक्त प्लाट का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होगा।

यह कि उक्त विक्रय किये गये उक्त वर्णित प्लाट के बाबत प्रथम पक्ष व उसके वारिसान, उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों इत्यादि का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है और ना ही भविष्य में होगा।

यह कि उक्त प्लाट प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बेचान किये गये के बाबत किसी भी प्रकार की कार्यवाही के निष्पादन एवं विक्रय पत्र में किसी त्रुटि की अवस्था में संशोधन पत्र के निष्पादन हेतु प्रथम पक्ष की उपस्थिति बयानों, हस्ताक्षरों की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति प्रथम पक्ष समय पर करने हेतु बाध्य रहेगा।

यह कि विक्रय पत्र का खर्चा द्वितीय पक्ष के जिम्मे रहा है व द्वितीय पक्ष ने ही वहन किया है।

यह कि उक्त विक्रय किये गये प्लाट को संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है जो कि मानचित्र इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंश रहेगा।

यह कि उक्त विक्रय किये गये प्लाट का कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर है जो कि भूखण्ड अवस्था मे है जिसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही है एंव जिसमें किसी प्रकार की कोई वाणिज्यिक व औद्योगिक गतिविधि नही है, उक्त प्लाट पूर्णतया रिहायशी है इसलिये इसकी मालियत मूल्यधन से अधिक नही है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने अपनी राजी–खुशी, स्वस्थ्य चित्त, स्थिर बुद्वि की अवस्था में 01 किता ई–स्टाम्प कीमती 1,47,500/– रूपये व 05 किता पेपरों पर सम्पूर्ण इबारत को पढ़ व सुन, सोच व समझकर बिना किसी दबाब, वहकाब व आग्रह के तथा बिना किसी नशे, पते के अपनी स्वतंत्र सम्मति से प्रतिफल की चुकती राशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 03.05.2018 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता	हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता
For SG FISCAL LLP	For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.
Authorised Signatory	Director
(श्री दिनेश अग्रवाल)	(श्री विकास शर्मा)
बहैसियत पार्टनर SG FISCAL LLP	बहैसियत डायरेक्टर विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
PAN NO:- ADNFS3591G	**PAN NO:- AAECV3088Q**

हस्ताक्षर गवाहान –

1. हस्ताक्षर :–
श्री सुरेन्द्र ढ़ाका पुत्र श्री हनुमान सिंह ढ़ाका,
आयु 35 वर्ष, जाति जाट,
89–90, एकलिंग एनक्लेव, कनक विहार, अजमेर रोड़, जयपुर।

2. हस्ताक्षर :–
श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री एम.सी. शर्मा,
आयु 38 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
3/283, चित्रकूट योजना अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान–302012

उपपंजीयक
जयपुर सप्तम

As par direction drafted by:-
Anil Kr Sharma
Advocate
M.No. 9829022307

SITE PLAN OF PLOT NO. R-14/183, INDRAPRASTH COLONY(CHOARDIYA CITY), VILLAGE KESHOPURA, AJMER ROAD, TESHIL SANGANER, JAIPUR.

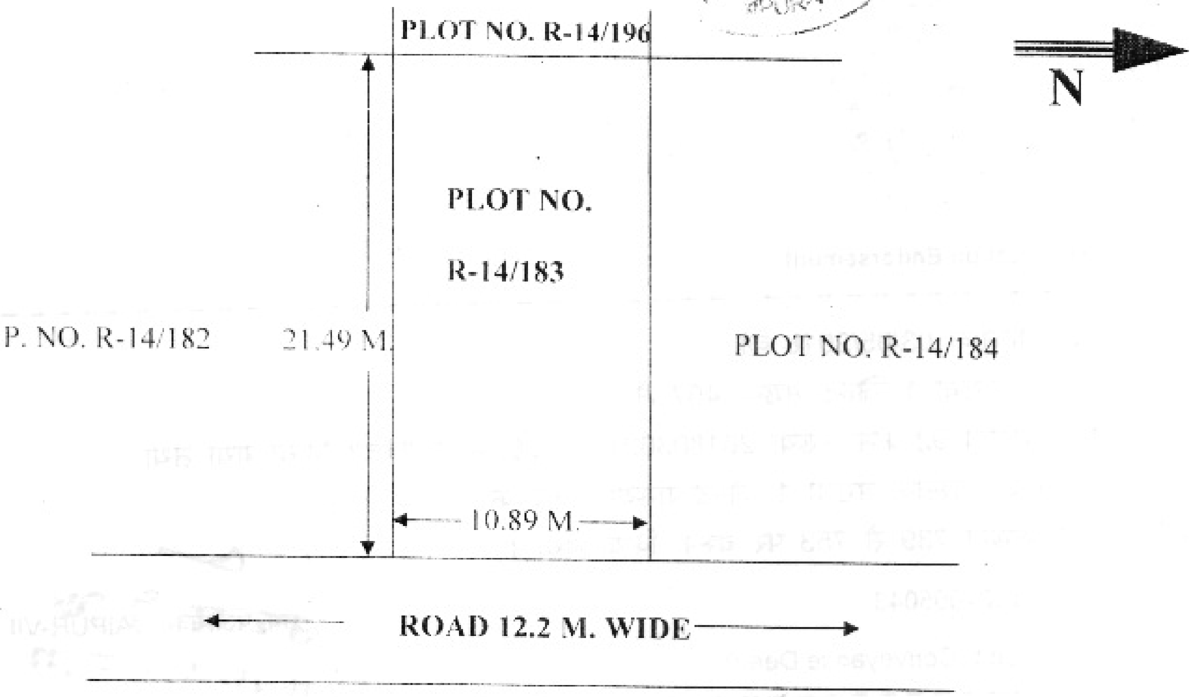

DEED COLOUR SHOWS THUS

TOTAL AREA = 234.02 SQ.MTR.

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

184

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(जमाकर्ता की प्रति)

चालान संख्या 16459 दिनांक

भूखण्ड संख्या F-111-184 श्रेणी 1. आवासीय

ज़ोन नं. ...7... 2. व्यावसायिक

3. संस्थानिक

योजना का नाम/कोड

जमाकर्ता (आवंटी) का नाम S. G. Fiscal Pvt Ltd.

कृपया सही कालम में राशि भरें :—

कोड सं.	मद	राशि
01.	भूखण्ड का नजराना	
02.	नजराना पर ब्याज/पेनल्टी	8957=00
03.	शहरी जमाबंदी	
04.	शहरी जमाबंदी पर ब्याज	22115=00
05.	विकास शुल्क	
08.	उपविभाजन/पुनर्गठन	
09.	निर्मित भवनों की कीमत	
10.	निर्मित व्यावसायिक भवनों की कीमत	
24.	अमानत राशि	
51.	नियमन शुल्क	
52.	नियमन शुल्क पर ब्याज	
53.	सीवरेज शुल्क	
54.	सीवरेज शुल्क पर ब्याज	100=00
	अन्य	
	विविध	
	योग रुपये	31172=00

STATE BANK OF RAJASTHAN LTD. Cheque/s Received 10 SEP 2008 SUBJECT TO REALISATION J.D.A. Campus, JAIPUR

(शब्दों में) रुपये Thirty one th

चैक/पे-आर्डर/डीडी/संख्या .... दिनांक ....

बैंक ....

वचनबद्धता

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री ....

जमाकर्ता वचनबद्ध हूँ कि उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता को जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। इस प्रकार जमा कराई गई अतिरिक्त यदि प्राधिकरण द्वारा कोई मांग निकाली जाती है तो वह अतिरिक्त राशि 18% ब्याज सहित या प्राधिकरण के नियमानुसार जो भी अधिक हो जमा करा दी जायेगी। HDFC 245678

ह. जमाकर्ता बैंक रोकड़पाल

R-14/184

2

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II
Jaipur
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010052000496	Date	11/01/2010
Presenter Name	DINESH AGARWAL	Document S. No	2010052000468
Presenter/Property Address	E 207 ROAD NO. 10 VKI AREA JAIPURAS DIR. OF M/S S G FISCAL P.LTD.null		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name	JDA	Payment Mode	Cash
Face Value	44782	Evaluated Value 0	Stamp Value 3584

Ord- registration fee	450	commssion	0
csi_less_50000	100	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	550

Five Hundred Fifty Only

Cashier

SUB REGISTRAR, JAIPUR-II * उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) * सत्यमेव जयते

Sub Registrar JAIPUR-II

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर ~~समूह~~ आवासीय प्रयोजनों के लिए निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत भूमि का पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानो के अंतर्गत आवंटित भू-उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 7-1-2010 को आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 694 सन् को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हे इसके पश्चात सरकार कह कर संबोधित किया गया है दूसरी ओर मैसर्स .... जरिये श्री/श्रीमती [illegible] जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी [illegible] योजना का नाम [illegible] भूखण्ड संख्या R-14-84 क्षेत्रफल 234.02 व.मी. जिनको इसके पश्चात पट्टेदार कह कर संबोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है। इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इनके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो निजी खातेदारी योजना में स्थित स्थान [illegible] और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के 234.02 व.मी. संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इसमें संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार उपयोग, उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबंदी (लीज होल्ड) में पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 47.84 व.मी. रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 11196=00 शब्दों में ग्यारह हजार एक सौ छियानवे रुपये देय होती है जो चालान नं. 17431 दिनांक 20.9.05 से जमा है इसका 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबंदी रुपये देय है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(65) नविवि/03/06 दिनांक 02.11.07 आठ वर्षीय लीज राशि 8956=00 शब्दों में आठ हजार नौ सौ छप्पन रुपये होती है जो चालान नं. 16459 दिनांक 10-9-08 से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावेगा। भूखण्ड का अन्य उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा।। निर्मित भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-07-1999 क्रमांक प. (3)नविवि/03/99 भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे।

4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकारी ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

उप पंजीयक द्वितीय जयपुर

5. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो, न

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये 20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

20 रुपये INDIA SPECIAL ADHESIVE RUPEES TWENTY

राजस्थान RAJASTHAN

01AA 870598

THE BANK OF RAJASTHAN
JDA CAMPUS
JAIPUR
6394 R
F/4(300)(2)/Stamp/Frank/Bank/069

भारत STAMP DUTY RAJASTHAN
00000 SPECIAL ADHESIVE
Rs.≈0003484≈ 10.9.2008
714465 RAJASTHAN
INDIA **Zero*Zero*Zero*ThreeFour*EightFour***

7957 5147256

R-14-184 23401

3584

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

21AA 755362

SUB-REGISTRAR, JAIPUR

R-14184 234.02

3584=00

उप पंजीयक द्वितीय

जयपुर

9

आज दिनांक 11 माह जनवरी सन् 2010 को 03:28 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री DINESH AGARWAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RADHEY SHYAM AGARWAL
उम्र 39 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी E 207 ROAD NO. 10 VKI AREA JAIPUR AS DIR. OF M/S S G FISCAL P.LTD.
null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — हस्ताक्षर उप पंजीयक, JAIPUR-II

(2010052000468)

(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

रसीद नं0	[2010052000496]
दिनांक	[11-1-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	450
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	100
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	550

(2010052000468) उपपंजीयक,JAIPUR-II

((Lease deed for local bodies (Patta)))

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

SITE PLAN OF PLOT No. R 14/184

SCHEME INDRAPRASTH COLONY AJMER ROAD, JAIPUR.

AREA 10.89 x 21.49 = 234.02 SQM.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER RULES. %

SCALE—1 in = 50 ft.

N ←

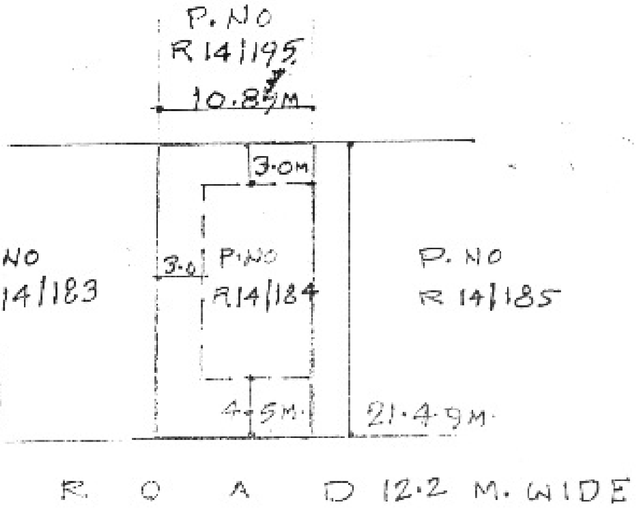

Site Engineer

Town Planning Assistant/ATP

उपायुक्त (जोन-7) जयपुर विकास प्राधिकरण
Dy. C. Conversion
जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

19

S G FISCAL LLP

E-207, ROAD NO.10., V.K.I. AREA. JAIPUR. 9314050557.

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF PARTNERS OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP HELD ON 01.05.18

"**RESOLVED THAT** the consent of the Board be and is hereby accorded to sell the plot no. R-14/183 and R-14/184 held by the llp..

"**FURTHER RESOLVED THAT** Mr DINESH AGRAWAL S/O RADHEY SHYAM AGRAWAL R/O D-53, AMBABARI, JAIPUR, Partner of the LLP be and hereby severally authorized to sign and execute on behalf of the LLP, all agreements, undertakings and any other documents that may be necessary for selling these plots and to do all such acts that may be necessary to implement the foregoing resolution."

Partner
(Name, sign and stamp)

Partner
(Name, sign and stamp)

Partner
(Name, sign and stamp)

184

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ28159900740430Q
Certificate Issued Date	:	03-May-2018 12:26 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3089504/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ308950448032010148560Q
Purchased by	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Description of Document	:	Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	:	P.NO. R-14/184, INDERPRASTH COLONY, CHORADIYA CITY, VILL. KESHOPURA, TEH. SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	24,50,000 (Twenty Four Lakh Fifty Thousand only)
First Party	:	SG FISCAL LLP
Second Party	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	VIJAY SUPREME BUILDERS PVT LTD
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	1,22,500 (One Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	12,250 (Twelve Thousand Two Hundred And Fifty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	12,250 (Twelve Thousand Two Hundred And Fifty only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,47,000 (One Lakh Forty Seven Thousand only)

For SG FISCAL LLP

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जयपुर

0006885628

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-RJ28160050589678Q
Certificate Issued Date	:	03-May-2018 12:27 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3089504/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ308950448034280082480Q
Purchased by	:	SG FISCALL LLP
Description of Document	:	Article 35B(2)(a) Instr.of conversion of firm/Pvt Ltd/unlisted Pub Ltd comp into LLP where on conversion immovable prop.vests in LLP
Property Description	:	P.NO. R-14/184, INDERPRASTH COLONY, CHORADIYA CITY, VILL. KESHOPURA, TEH. SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SG FISCAL PVT LTD
Second Party	:	SG FISCAL LLP
Stamp Duty Paid By	:	SG FISCAL LLP
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	12,216 (Twelve Thousand Two Hundred And Sixteen only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	1,222 (One Thousand Two Hundred And Twenty Two only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	1,222 (One Thousand Two Hundred And Twenty Two only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	14,660 (Fourteen Thousand Six Hundred And Sixty only)

For SG FISCAL LLP

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्

0006885629

1

!! श्रीराम जी !!

(छायाचित्र–प्रथम पक्ष)

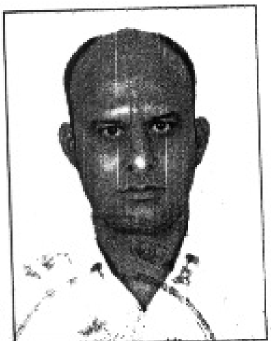

(छायाचित्र–द्वितीय पक्ष)

:: विक्रय पत्र ::

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 03.05.2018 को जयपुर नगर जयपुर (राजस्थान) में **SG FISCAL LLP** (एसजी फिस्कल एलएलपी) (पूर्व नाम– एस.जी. फिस्कल प्रा. लि.), (**LLP Identification No. – AAL-2533**), रजि. कार्यालय ई–207, रोड़ नम्बर 10, वी.के.आई. एरिया, जयपुर, राजस्थान–302013 जरियें पार्टनर श्री दिनेश अग्रवाल, आयु 48 वर्ष, पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी डी–53, गणेश पार्क, अम्बाबाड़ी, जयपुर, राजस्थान–302023 (आधार नम्बर 3161–2008–0667) के है जिसें इस विक्रय पत्र में यहां शब्द ''विक्रेता प्रथम पक्ष''. एवं आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द ''प्रथम पक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रशासक, भागीदारान, निदेशक इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे जब तक कि सन्दर्भ से प्रतिकुल आशय प्रकट न हो) की ओर से –

बहक

विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN NO. U45201RJ2013PTC041295) पंजीकृत कार्यालय 94, टैगोर नगर, अजमेर रोड़, जयपुर जरिये निदेशक श्री विकास शर्मा, आयु 35 वर्ष, पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ई–11, जमना नगर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य के है, जिसें इस विक्रय पत्र में शब्द "क्रेता द्वितीय पक्ष" एवं आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द "द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें द्वितीय पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रशासक, भागीदारान, निदेशक इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे जब तक कि सन्दर्भ से प्रतिकुल आशय प्रकट न हो) के हक में निम्न प्रकार लिखा व तहरीर व तकमील किया गया है –

यह कि प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं अधिकार का प्लाट नम्बर आर–14/184, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी (चौरड़िया सिटी), ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य में पूर्वमुखी स्थित है जिसकी नाप पूर्व–पश्चिम 21.49 मीटर एंव उत्तर–दक्षिण 10.89 मीटर हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गगज है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व की ओर 12.2 मीटर चौड़ा आमदरफ्त सरकारी रास्ता स्थित हैं, पश्चिम की ओर प्लाट नम्बर आर–14/195 मिला हुआ है, उत्तर की ओर प्लाट नम्बर आर–14/185 मिला हुआ हैं व दक्षिण की ओर प्लाट नम्बर आर–14/183 मिला हुआ है।

यह कि उपरोक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर–14/184, सम्पूर्ण के बाबत् प्रथमपक्ष विक्रेता ने कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में नियमन हेतु विधिवत आवेदन किया एंव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में उक्त प्लाट बाबत् नियमन राशि के 11,196/– रूपयें जरियें चालान नम्बर 17431 दिनांक 20.09.2005 को व लीज राशि के 8,956/– रूपयें जरियें चालान नम्बर 16459 दिनांक 10.09.2008 को जमा कराये, तब कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजरव अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानों के तहत शहरी जमाबन्दी के आधार पर निजी खातेदारी के योजना के अन्तर्गत उक्त वर्णित प्लाट का आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 694 दिनांक 07.01.2010 को प्रथमपक्ष के नाम से

द्वितीय के नाम दिनांक 11.01.2010 ईस्वी को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 627 में पृष्ठ संख्या 146 क्रम संख्या 2010052000272 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2495 के पृष्ठ संख्या 558 से 565 पर चस्पा किया गया। इस प्रकार उक्त वर्णित प्लाट का प्रथम पक्ष एक मात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी है, जिसको प्रथम पक्ष ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय व हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष की ओर से प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, ऋण भार सरकारी व जन साधारण से मुक्त है तथा किसी भी कर्जा, कुर्की, डिक्री व अनुबन्ध पत्र से बंधित नहीं है एवं उक्त वर्णित प्लाट के विषय में प्रथम पक्ष को प्रत्येक प्रकार से अपने काम में लेने व रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त है।

यह कि उक्त वर्णित प्लाट पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित प्लाट को प्रथम पक्ष ने किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन विक्रय व हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष की ओर के प्रत्येक प्रकार के झगड़े टन्टे, ऋण, भार सरकारी व जन साधारण आदि से मुक्त है उपरोक्त प्लाट के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई वाद, विवाद, किसी भी न्यायालय, अधिकरण में विचाराधीन नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा किसी भी न्यायालय, अधिकरण द्वारा उपरोक्त प्लाट के सम्बन्ध मे दी गई है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त प्लाट को कहीं जमानती नहीं रखा हुआ है। प्रथमपक्ष नें उपरोक्त वर्णित प्लाट के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को अपना मुख्त्यारआम या मुख्त्यारखास नियुक्त नहीं किया। इस प्रकार उक्त वर्णित प्लाट प्रत्येक प्रकार के चार्ज व भार से मुक्त, साफ व पाक है और उक्त वर्णित प्लाट को किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने के तमाम अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष को अपनी व्यावसायिक की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसी कारण से प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर–14/184, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी (चौरड़िया सिटी), ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर हैं, सम्पूर्ण को कतई बेचान किये जाने का निर्णय किया है ओर प्रथम पक्ष से उक्त वर्णित प्लाट प्रथम पक्ष द्वारा निम्न वर्णित मांगी गई प्रतिफल राशि में द्वितीय पक्ष ने खरीद करना स्वीकार कर

तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान राज्य, जिसका कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर है, सम्पूर्ण को प्रथम पक्ष ने बिना रखे अपने किसी भी हक व हिस्से के सम्पूर्ण स्वत्वों, अधिकारों व सुखाधिकारों व मंजिल दर मंजिल तामीरात के अधिकारो सहित अपनी स्वस्थ्य इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्वि की अवस्था में बिना किसी दबाव, बहकाव व आग्रह के कुल मुबलिग 24,50,000/- रूपये अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपयों में द्वितीय पक्ष को कतई बेचान कर दिया है तथा प्रतिफल की चुकती राशि 24,50,000/- रूपये अक्षरें चौबीस लाख पचास हजार रूपयें द्वितीयपक्ष क्रेता ने प्रथमपक्ष विक्रेता को निम्न लिखित प्रकार से अदा कर दियें हैं :-

राशि (रूपयों मे)	चैक संख्या	दिनांक	बैक का नाम	शाखा
5,00,000/-	000361	03/05/18	बैंक ऑफ बड़ौदा	जयपुर
19,50,000/-	000364	13/06/18	बैंक ऑफ बड़ौदा	जयपुर

यह कि प्रतिफल की चुकती राशि उपरोक्त लिखित प्रकार से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से कतई प्राप्त की जा चुकी है जिसे प्रथम पक्ष इस विलेख में द्वितीय पक्ष से उपरोक्तनुसार प्राप्त करना स्वीकार करता है। अब प्रतिफल की राशि में से प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से कुछ भी लेना शेष नही रहा है और विक्रय किये गये उक्त वर्णित सम्पूर्ण प्लाट का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को मौके पर वास्तविक मालिकाना व भौतिक रूप से मय मूल दस्तावेजात के संम्भला दिया गया है और द्वितीय पक्ष को उक्त वर्णित प्लाट में मौके पर वास्तविक मालिकाना रूप से काबिज दाखिल करा दिया गया है, जिसका द्वितीय पक्ष बिना किसी अन्य साझी व सीर के एकमात्र व तन्हा मालिक, काबिज, अधिकारी, स्वामी व स्वत्वाधारक हो गया है और तमाम मालिकाना अधिकार उक्त वर्णित प्लाट के बाबत द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

यह कि अब द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित प्लाट नम्बर आर-14/184, सम्पूर्ण को कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकारण, नगर निगम जयपुर इत्यादि में अपने नाम से हस्तान्तरित करा लेवें, पानी-बिजली-टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करें, मंजिल दर मंजिल जिस प्रकार चाहे अपनी सुविधानुसार तामीरात करावें, जिस तरह चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवें किसी भी प्रयोजन हेतु परिवर्तित

रद्दोबदल करें एवं सामलात में व पृथक् पृथक खण्डों में किसी को भी किसी भी कीमत पर रहन, बंधक, विक्रय एवं हस्तान्तरित करें तमाम मालिकाना अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

यह कि उक्त विक्रय किये गये उक्त वर्णित प्लाट के बेचान बाबत कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति वाद--विवाद, झंगडा, टन्टा उत्पन्न करेगा तो उसका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं अपने हर्जे खर्चे से करने हेतु बाध्य रहेगा तथा आज तक की किसी भी प्रकार की कोई राशि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, बकाया निकलेगी तथा कर/टैक्स, शुल्क, चार्ज आदि एवं बैंक व व्यक्तिगत ऋण राशि एवं इस विक्रय पत्र के सिवाय पूर्व में निष्पादित अन्य विलेख के बाबत किसी प्रकार की कोई मुद्रांक व पंजीयन राशि बकाया निकलेगी तो उन तमाम की अदायगी हेतु प्रथम पक्ष स्वयं बाध्य रहेगा, जिससे द्वितीय पक्ष व उक्त प्लाट का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होगा।

यह कि उक्त विक्रय किये गये उक्त वर्णित प्लाट के बाबत प्रथम पक्ष व उसके वारिसान, उत्तराधिकारियों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों इत्यादि का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है और ना ही भविष्य में होगा।

यह कि उक्त प्लाट प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बेचान किये गये के बाबत किसी भी प्रकार की कार्यवाही के निष्पादन एवं विक्रय पत्र में किसी त्रुटि की अवस्था में संशोधन पत्र के निष्पादन हेतु प्रथम पक्ष की उपस्थिति बयानों, हस्ताक्षरों की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति प्रथम पक्ष समय पर करने हेतु बाध्य रहेगा।

यह कि विक्रय पत्र का खर्चा द्वितीय पक्ष के जिम्मे रहा है व द्वितीय पक्ष ने ही वहन किया है।

यह कि उक्त विकय किये गये प्लाट को संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है जो कि मानचित्र इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंश रहेगा।

यह कि उक्त विक्रय किये गये प्लाट का कुल क्षेत्रफल 234.02 वर्गमीटर है जो कि भूखण्ड अवस्था मे है जिसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही है एंव जिसमें किसी प्रकार की कोई वाणिज्यिक व औद्योगिक गतिविधि नही है, उक्त प्लाट पूर्णतया रिहायशी है इसलिये इसकी मालियत मूल्यधन से अधिक नही है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने अपनी राजी–खुशी, स्वस्थ्य चित्त, स्थिर बुद्वि की अवस्था में 01 किता ई–स्टाम्प कीमती 1,47,500/– रूपये व 05 किता पेपरों पर सम्पूर्ण इबारत को पढ़ व सुन, सोच व समझकर बिना किसी दबाव, वहकाब व आग्रह के तथा बिना किसी नशे, पते के अपनी स्वतंत्र सम्मति से प्रतिफल की चुकती राशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 03.05.2018 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

For SG FISCAL LLP

(श्री दिनेश अग्रवाल)
बहैसियत पार्टनर SG FISCAL LLP
PAN NO:- ADNFS3591G

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता

For Vijay Supreme Builders Pvt. Ltd.

Director

(श्री विकास शर्मा)
बहैसियत डायरेक्टर विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
PAN NO:- AAECV3088Q

हस्ताक्षर गवाहान –

1. हस्ताक्षर :–
   श्री सुरेन्द्र ढ़ाका पुत्र श्री हनुमान सिंह ढ़ाका,
   आयु 35 वर्ष, जाति जाट,
   89–90, एकलिंग एनक्लेव, कनक विहार, अजमेर रोड़, जयपुर।

2. हस्ताक्षर :–
   श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री एम.सी. शर्मा,
   आयु 38 वर्ष, जाति ब्राह्मण,
   3/283, चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान–302012

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम

As par direction drafted by:-
Anil Kr Sharma
Advocate
M.No. 9829022307

SITE PLAN OF PLOT NO. R-14/184, INDRAPRASTH COLONY(CHOARDIYA CITY), VILLAGE KESHOPURA, AJMER ROAD, TESHIL SANGANER, JAIPUR.

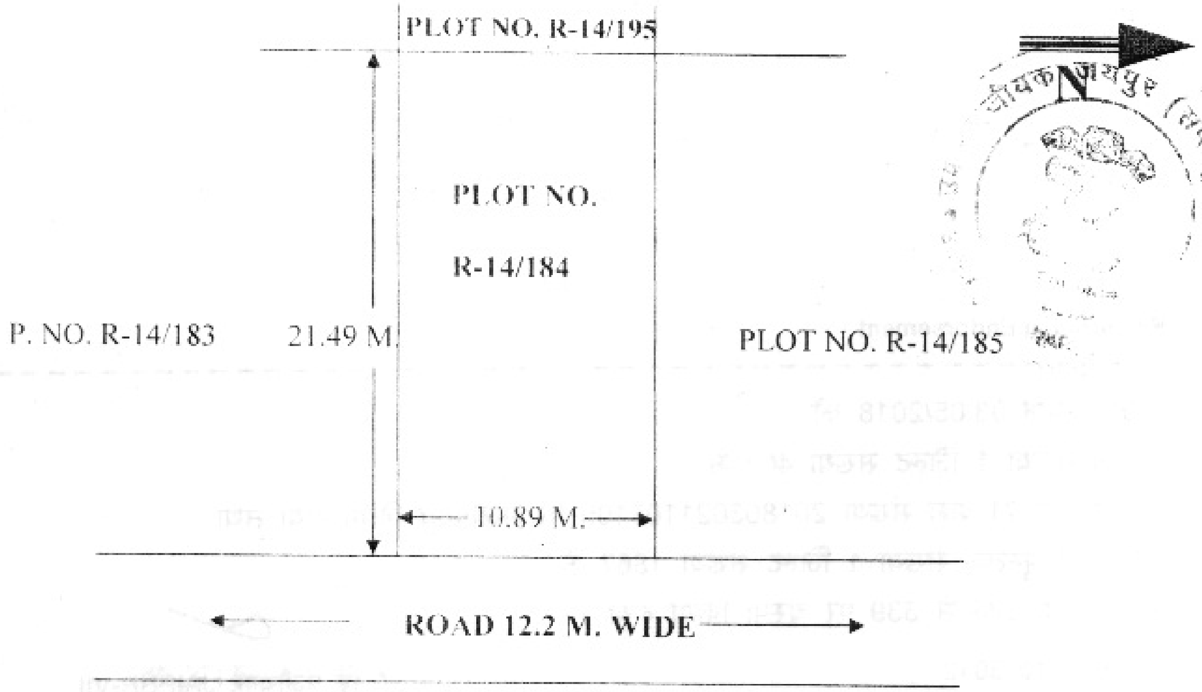

DEED COLOUR SHOWS THUS

TOTAL AREA = 234.02 SQ.MTR.

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा गाँधी सर्किल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर– 302004

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2018 / डी– 352 दिनांकः 9/5/2018

नाम हस्तान्तरण– पत्र

विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्रा.लि.,
जरिये निदेशक विकास शर्मा,
पता– 94, टैगोर नगर, अजमेर रोड़,
जयपुर (राज.)।

विषयः– आवासीय भूखण्ड संख्या आर–14 / 183, योजना–इन्द्रप्रस्थ (चौरडिया सिटी), अजमेर रोड़, जयपुर का नाम हस्तान्तरण बाबत।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की सत्यापित फोटो प्रति के आधार पर **आवासीय भूखण्ड संख्या आर–14 / 183, योजना–इन्द्रप्रस्थ (चौरडिया सिटी), अजमेर रोड़, जयपुर** के नाम हस्तान्तरण अन्य के अधिकारों को प्रभावित किये बिना उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम स्वीकार किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर उक्त भूखण्ड का आवंटन / पट्टा **एस. जी फिस्कल प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल** को किया गया था। उक्त भूखण्ड का **क्षेत्रफल 234.02 वर्ग मीटर हैं।**

उपरोक्त हस्तान्तरण केवल प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करने एवं ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम नियमों के अन्तर्गत निर्मित भूखण्डों के सेटबेक इत्यादि में किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा तथा नाम हस्तान्तरण कार्यवाही से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगें, जो नियमों के अन्यथा हों।

उपायुक्त (जोन–7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रभारी अधिकारी सी.पी.आर.एम.एस., जविप्रा, जयपुर को सर्विस नं. 2178001416 के क्रम में प्रेषित है।

उपायुक्त (जोन–7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

6

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा गाँधी सर्किल जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर– 302004

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2018 / डी– 351 **दिनांक:** 9/5/2018

नाम हस्तान्तरण– पत्र

विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्रा.लि.,
जरिये निदेशक विकास शर्मा,
पता– 94, टैगोर नगर, अजमेर रोड़,
जयपुर (राज.) ।

विषयः– आवासीय भूखण्ड संख्या आर–14 / 184, योजना–इन्द्रप्रस्थ (चौरडिया सिटी), अजमेर रोड़, जयपुर का नाम हस्तान्तरण बाबत।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की सत्यापित फोटो प्रति के आधार पर **आवासीय भूखण्ड संख्या आर–14 / 184, योजना–इन्द्रप्रस्थ (चौरडिया सिटी), अजमेर रोड़, जयपुर** के नाम हस्तान्तरण अन्य के अधिकारों को प्रभावित किये बिना उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर आपके नाम स्वीकार किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर उक्त भूखण्ड का आवंटन / पट्टा **एस. जी फिस्कल प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री दिनेश अग्रवाल** को किया गया था। उक्त भूखण्ड का **क्षेत्रफल 234.02 वर्ग मीटर** हैं।

उपरोक्त हस्तान्तरण केवल प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करने एवं ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम नियमों के अन्तर्गत निर्मित भूखण्डों के सेटबेक इत्यादि में किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा तथा नाम हस्तान्तरण कार्यवाही से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगें, जो नियमों के अन्यथा हों।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रभारी अधिकारी, सी.पी.आर.एम.एस., जविप्रा, जयपुर को सर्विस नं. 2178001423 के क्रम में प्रेषित हैं।

उपायुक्त जोन–7
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2018 / डी– 353 दिनांक: 9/5/18

विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्रा.लि.,
जरिये निदेशक विकास शर्मा,
पता– 94, टैगोर नगर, अजमेर रोड,
जयपुर (राज.)।

विषयः– निजी खातेदारी की आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ (चौरडिया सिटी), अजमेर रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या आर–14 / 183 एवं आर–14 / 184 के पुनर्गठन आदेश के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ (त्तौरडिया सिटी), अजमेर रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या आर–14 / 183 एवं आर–14 / 184 के पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में प्रकरण को जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.05.2018 को प्रस्तुत किया गया। जोन स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार भूखण्ड संख्या आर–14 / 183 क्षेत्रफल 234.02 वर्ग मीटर एवं भूखण्ड सं. आर–14 / 184 क्षेत्रफल 234.02 वर्ग मीटर का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया जाकर पुनर्गठन स्वीकार किया जाता हैं। पुनर्गठित भूखण्ड सं. आर–14 / 183 एवं आर–14 / 184 का कुल क्षेत्रफल 468.04 वर्ग मीटर होता है, जिसके पुनर्गठित सैटबैक निम्नानुसार है :–

1. सामने 12.2 मीटर रोड की और– 4.50 मीटर
2. पीछे भू.सं. आर–14 / 196 व आर–14 / 195 की और– 3.0 मीटर
3. साईड प्रथम भू.सं. आर–14 / 185 की और– चरपेटा
4. साईड द्वितीय भू.सं. आर–14 / 182 की और– 3.0 मीटर

संलग्न :– पुनर्गठित भूखण्ड संख्या आर–14 / 183 व आर–14 / 184 के साईट प्लान की दो प्रति।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि :– प्रभारी अधिकारी (सी.पी.आर.एम.एस.), जविप्रा, जयपुर को सर्विस नं. 2178001416 के क्रम में प्रेषित हैं।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

(5)

[RECONSTITUTE]

SITE PLAN OF PLOT NO. R-14/183, R-14/184 (RESIDENTIAL)

SCHEME:- INDRAPRASTH COLONY AJMER ROAD, JAIPUR.

PLOT AREA :- 468.04 SQ. MTR.

PARAMETERS -AS PER PREVAILING BUILDING BYLAWS.

SCALE -1CM=5.00 MTR

→N

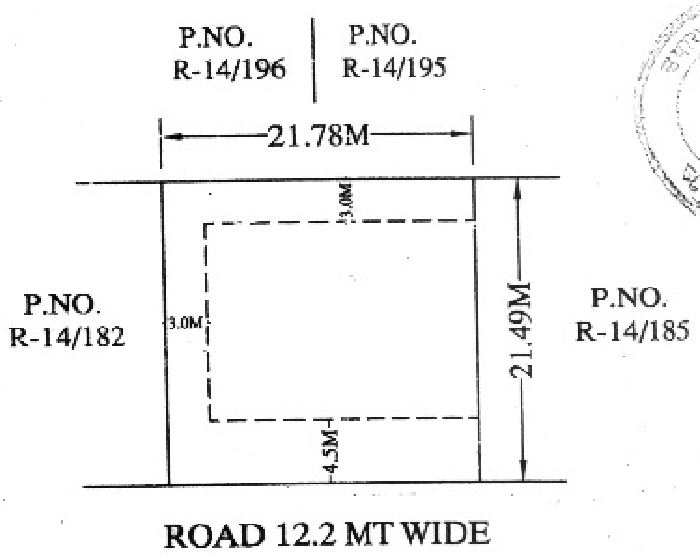

उपायुक्त (जोन-7)

SITE ENGINEER
ZONE - 7

ATP/DTP
ZONE - 7

DY. COMMISSIONER
ZONE - 7

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR.